अनुदान संख्या 75 - विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 75 – MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	10859,19,00				
				10949,40,00	1749,16,82	-9200,23,18
पूरक	Supplementary	90,21,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9200,13,94
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	4432,41,00				
				5464,22,00	5228,58,14	-235,63,86
पूरक	Supplementary	1031,81,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					235,63,58

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹920023.18 लाख) मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹9021.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 84 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹920023.18 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹9021.00 lakhs obtained in March, 2013 and constituted 84 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	2594.00			
			2490.13	2482.23	-7.90
पु.	R.	-103.87			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	63500.00	..	..	..
पु.	R.	- 63500.00			
मुख्य शीर्ष “2801”	Major Head “2801”				
बिजली	Power				
मू.	O.	1019825.00			
पू.	S.	9021.00	172435.93	172434.59	-1.34
पु.	R.	-856410.07			

(I) ₹71985.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹71895.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष “2552”

(क) “ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से संबंधित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम” - ₹49000.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(ख) “पारेषण और वितरण - निदेशन और प्रशासन - अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण” - ₹14500.00 लाख स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(I) Provision of ₹71985.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these ₹71895.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2552” -

(a) “Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification Corporation for Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY)”- ₹49000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects /schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(b) “Transmission and Distribution - Direction and Administration - Strengthing of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim”- ₹14500.00 lakhs -due to non-finalisation of the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2801" -

(क) "ताप विद्युत उत्पादन - बदरपुर ताप विद्युत केंद्र - प्रचालन और अनुरक्षण" - ₹995.00 लाख रेलवे से मांग प्राप्त न होने और देय राशियों का समाधान न होने के कारण थे।

(ख) "सामान्य - अन्य व्यय" -

(i) "मूल्यांकन अध्ययन और परामर्श सेवा के लिए निधियां" - ₹200.00 लाख प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) "राष्ट्रीय विद्युत निधि" - ₹7200.00 लाख उपयोगिता की पूर्व-पात्रता शर्तों का मूल्यांकन और ब्याज सहायता की गणना आस्थगित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - विद्युत मंत्रालय" के अंतर्गत ₹111.77 लाख की बचत (₹2594.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "ताप विद्युत उत्पादन - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण" - ₹175.91 लाख की बचत (₹505.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग के अनुदेशों के अनुसार 31.12.2012 से स्कीम को समाप्त कर दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "पारेषण और वितरण - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण" - ₹340.80 लाख की बचत (₹1480.22 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "2801"-

(a) "Thermal Power Generation - Badarpur Thermal Power Station - Operation and Maintenance" - ₹995.00 lakhs - due to non-receipt of demand from Railways and non-reconciliation of dues.

(b) "General – Other Expenditure" –

(i) "Funds for Evaluation studies and consultancy" - ₹200.00 lakhs - due to non- receipt of proposals.

(ii) "National Electricity Fund (NEF)"- ₹7200.00 lakhs - due to deferment of evaluation of pre-eligibility conditions of utility and computation of Interest Subsidy.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Power"- saving of ₹111.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2594.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-purchase of books for library and economy measures.

(III) Under Major Head "2801"- savings occurred under the following heads :-

(A) "Thermal Power Generation – Direction and Administration - Central Electricity Authority"- saving of ₹175.91 lakhs (against the sanctioned provision ₹505.00 lakhs) was due to discontinuation of scheme w.e.f 31.12.2012 as per instructions of the Planning Commission.

(B) "Transmission and Distribution - Direction and Administration - Central Electricity Authority"- saving of ₹340.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1480.22 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and reduction of

provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "ग्रामीण विद्युतीकरण" -

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" - ₹54979.00 लाख की बचत (₹60000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "अन्य व्यय - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संबंधी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम" - ₹316226.65 लाख की बचत (₹381000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने, चरण-II परियोजना सौंपे जाने में विलंब होने, कार्यान्वयन अभिकरणों से समापन प्रस्ताव प्राप्त न होने और कुछ राज्यों में कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) "आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण" - ₹408614.53 लाख की बचत (₹476100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य" -

(क) "अनुसंधान और विकास - केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान" - ₹22464.00 लाख की बचत (₹26500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "अन्य व्यय"

(i) "ऊर्जा दक्षता ब्यूरो" - ₹15590.00 लाख की बचत (₹19740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान

(C) "Rural Electrification"-

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY)"- saving of ₹54979.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs) ; and

(b) "Other Expenditure - Rural Electrification Corporation - For Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana"- saving of ₹316226.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 381000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unsent balance with the implementing agencies, delay in award of Phase-II Project, non-receipt of closure proposals from implementing agencies and slow progress of work in some States.

(c) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Investment Fund"- saving of ₹408614.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹476100.00 lakhs) was due to non-achievement of the target fixed for disinvestment.

(D) "General"-

(a) "Research and Development - Central Power Research Institute"- saving of ₹22464.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26500.00 lakhs);

(b) "Other Expenditure"-

(i) "Bureau of Energy Efficiency"- saving of ₹15590.00 lakhs (against the

की तुलना में) हुई; और

(ii) "ऊर्जा संरक्षण" - ₹16300.00 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें बारहवीं योजना के लिए स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(iii) "कैंद्रीय विद्‌युत प्राधिकरण" - ₹1846.71 लाख की बचत (₹7471.49 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, अंतिम रिपोर्टें प्रस्तुत न किए जाने की वजह से परामर्शदाताओं को अदायगी न किए जाने, संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्‌वारा प्रावधान में कमी किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(iv) "कैंद्रीय विद्‌युत विनियामक आयोग" - ₹972.90 लाख की बचत (₹3479.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(v) "मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्‌युत विनियामक आयोग की स्थापना" - ₹137.40 लाख की बचत (₹246.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और वाहन की खरीद के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(vi) "विद्‌युत अपील अधिकरण" - ₹108.81 लाख की बचत (₹878.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, विद्‌युत अपील अधिकरण द्‌वारा किराए पर

sanctioned provision of ₹19740.00 lakhs); and

(ii) "Energy Conservation"- saving of ₹16300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-finalisation of the schemes for XII Plan.

(iii) "Central Electricity Authority"- saving of ₹1846.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7471.49 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-payment to consultants owing to non-submission of final reports, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(iv) "Central Electricity Regulatory Commission"- saving of ₹972.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3479.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(v) "Setting up of Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram"- saving of ₹137.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹246.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-approval of proposal for purchase of vehicle.

(vi) "Appellate Tribunal for Electricity"- saving of ₹108.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹878.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant

लिए गए कार्यालय आवास के पट्टा करार को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

posts and non-approval of lease agreement of the office accommodation hired by APTEL.

(vii) "त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम" - ₹9995.67 लाख की बचत (₹11700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के धीमे कार्यान्वयन की वजह से नोडल अभिकरण द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(vii) "Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP)"- saving of ₹9995.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11700.00 lakhs) was due to requirement of less funds by nodal agency owing to slow implementation of the project.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹23563.86 लाख) मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹103181.00 लाख के पूरक अनुदान का 23 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

2. In the capital section of the grant, the overall savings (₹23563.86 lakhs) constituted 23 percent of the supplementary grant of ₹103181.00 lakhs obtained in March, 2013 and 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5400.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-5401.00			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	103104.00			
			33520.00	33519.72	-0.28
पु.	R.	-69584.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	39140.00	..	..	..
पु.	R.	- 39140.00			
मुख्य शीर्ष "6801" बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	Major Head "6801" Loans for Power Projects				
मू.	O.	295597.00	156699.42	156699.42	..
पु.	R.	-138897.58			
मुख्य शीर्ष "7602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज तथा उधार	Major Head "7602" Loans and Advances to Union Territory Governments				
पू.	S.	103180.00	332639.00	332639.00	..
पु.	R.	229459.00			

(I) ₹64541.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹64541.00 lakhs remained wholly unutilized in four cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम" - ₹5401.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(A) Major Head "4552" – " Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings-North Eastern Electric Power Corporation"- ₹5401.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(खा) मुख्य शीर्ष "6552" -

(B) Major Head "6552"-

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - पूर्वोत्तर विद्युतशक्ति निगम" - ₹8000.00 लाख; और

(a) "Loans to Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO)" - ₹ 8000.00 lakhs; and

(ख) "विद्युत परियोजनाओं को कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - विद्युत वित्त निगम को कर्ज" - ₹31140.00 लाख।

(b) "Loans to Power Projects- Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Power Finance Corporation" - ₹ 31140.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीम पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on the projects/scheme for the benefit of North Eastern Regions and Sikkim and surrender of the balance amount.

(गा) मुख्य शीर्ष "4801" - "पारेषण और वितरण - निदेशन और प्रशासन - श्रीनगर से कार्गिल होते हुए लेह को 220 केवी पारेषण लाइन का निर्माण" - ₹20000.00 लाख स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "4801"- "Transmission and Distribution - Direction and Administration - Construction of 220 KV Transmission Line from Srinagar to Leh Via Kargil" - ₹20000.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "4801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "4801"- savings occurred under the following heads:-

(का) "जलविद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड" - ₹2055.00 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Hydel Generation – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Tehri Hydro Development Corporation Limited" – saving of ₹2055.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs);

(खा) "ताप विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड" - ₹50580.00 लाख की बचत (₹72004.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Thermal Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings -National Thermal Power Corporation Limited"- saving of ₹50580.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹72004.00 lakhs);

(III) मुख्य शीर्ष "6801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "6801"- savings occurred under the following heads :-

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - विद्युत वित्त निगम को कर्ज" - ₹130308.00 लाख की बचत (₹248560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Power Finance Corporation"- saving of ₹130308.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹248560.00 lakhs); and

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम" - ₹16507.00

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Accelerated Power Development and

लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹229459.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "7602" - "योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए कर्ज - बकाया डीईएसयू देयताओं की अदायगी के लिए कर्ज" के अंतर्गत ₹103180.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "4801" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम" - ₹3051.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष "6801" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम" - ₹7917.42 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552"/"6552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Reform Programme (APDRP)"- saving of ₹16507.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 20000.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

3.(I) The above savings were partly (₹229459.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹103180.00 lakhs under Major Head "7602" - "Loans for Non-Plan Schemes - Loans to Cover Gap in Resources - Loans for Payment of outstanding DESU dues".

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4801" - "Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation" – excess of ₹3051.00 lakhs (against nil provision); and

(B) Major Head "6801" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation" - excess of ₹ 7917.42 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552"/"6552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.